राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राज भवन, पटना-800 022

संख्या-116 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25- 3/7 (रा.स.)/पटना, **दिनांक**- 10 फरवरी,2025

प्रथम अपील वाद संख्या-116 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25

श्री प्रिंस कुमार झा, ग्राम-सरैया,पोस्ट-जन्दाहा, जिला-वैशाली, पिन-844 505

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (1) के अधीन)

क्रम संख्या एवं दिनांक	**आदेश**	**आदेश पर की गयी कार्रवाई के सम्बन्ध में टिप्पणी-दिनांक सहित**
01 10.02.25	अपीलांट के मूल सूचनावेदन (प्रपत्र '**क**') के साथ संलग्न राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक-1459 दिनांक-05.09.24 एवं पत्रांक-1585 दिनांक-20.09.24 तथा प्रथम अपील आवेदन (प्रपत्र '**छ**') की प्रति संलग्न करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट के मूल सूचनावेदन के माध्यम से माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक एवं आत्म-भारित प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के अन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाये जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि अपीलांट द्वारा माँगी गयी सूचना उन्हें अभी तक उपलब्ध कराई गयी है अथवा नहीं? यदि माँगी गयी सूचना अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गयी है तो इसे अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाये। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति अपीलांट को भी स्पीड-पोस्ट द्वारा प्रेषित की जाये। **2.** इस आदेश के अनुपालन में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यदि अपीलांट संतुष्ट नहीं हों, तो वे अगले पाँच कार्यदिवसों के अन्दर वे अपना पक्ष लिखित तौर पर उन कारणों/आधारों का उल्लेख करते हुए प्रेषित करें कि वे किस कारण से/आधार पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से असंतुष्ट हैं और ऐसी स्थिति में वे दिनांक--28.02.25 को दोपहर 12.00 बजे अपने प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं।	

	3. अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के अनुपालन में प्रेषित प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी सूचना से अपीलांटसंतुष्ट हैं और तदनुरूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णीत किया जायेगा। **4.** सुनवाई हेतु उपस्थित होने की स्थिति में अपीलांट अपने साथ इस आदेश की प्रति तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई विधिमान्य फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र अपने साथ लेकर आयेंगे ताकि राज भवन के स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें राज भवन परिसर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-कक्ष में प्रवेश देने हेतु राज भवन के सुरक्षा प्रभारी से अनुरोध किया जा सके। **5.** अपीलांट द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न भा.पो.ऑ. (संख्या-65F 481514) की मूल प्रति लेखा पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को पूर्वोक्त इंस्ट्रूमेंट को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा करने हेतु प्रेषित की जाये। **ह./-** (संजय कुमार मिश्र) अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	

ज्ञापांक-116 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25- 317 (रा.स.)/पटना, **दिनांक**- 10, फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:

1. श्री प्रिंस कुमार झा, ग्राम-सरैया,पोस्ट-जन्दाहा, जिला-वैशाली, पिन-844 505 (स्पीड-पोस्ट से);
2. लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से); **एवं**
3. सुरक्षा प्रभारी, राज भवन, बिहार, पटना (पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु; **और**
4. आई.टी. प्रबंधक, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.02.25

अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी